छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 19 मार्च, 2012 (फाल्गुन 29,1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री,विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 37/सी.एस.ई.आर.सी./2011, दिनांक 1 जून,2011 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम, 2011 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर के लिये एम.आर.आई. एवं सीटी स्केन मशीन क्रय करने में विलंब किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामजी भारती, सदस्य, राजनांदगांव जिले में जिला मुख्यालय से जालबांधा मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मचांदुर में महाविद्यालय खोलने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के -

(i) विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम कटनई में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) विकासखण्ड बलौदा अंतर्गत ग्राम पहरिया में अनुसूचित जाति/जनजाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण करने,

(iii) अकलतरा में बायपास रोड निर्माण करने,

क्रमश: 2

(iv) विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम पोड़ीदलहा में अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण करने,

(v) विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम फरहदा के जमनाई नाले में स्टापडेम निर्माण करने,

(vi) विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत ग्राम चंगोरी में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(3) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य, जिला महासमुंद अंतर्गत -

(i) महासमुंद-बरोन्दाबाजार-लाफिनखुर्द मार्ग पर सिल्ली नाले पर पुल निर्माण करने तथा

(ii) महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम लाफिनखुर्द में हाईस्कूल खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9 - 9 सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिये अपने में से क्रमश: 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री केदारनाथ कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

''सभा के सदस्यगण विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2012-2013 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमश: तीन- तीन सदस्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

7. वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

रायपुर
दिनांक 18 मार्च, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.